

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द०प्र०स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० वाद संख्या- 604 / 2019

प्रथम पक्ष :-

1. शोएब अली अंसारी पिता स्व० हाफिजुद्दीन अंसारी सा० बाबुडीह थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकरो।

-: बनाम :-

द्वितीय पक्ष :-

1. गोलबाबु अंसारी 2. रहमगुल अंसारी पिता हफीजुद्दीन अंसारी 3. सहिद जमाल 4. खुशीद जमाल 5. जियाउल हक पिता रहमगुल अंसारी 6. अरमान अंसारी पिता रहमगुल अंसारी 7. लालू अंसारी उर्फ मुशीद जीमल अंसारी 8. सद्दाम अंसारी पिता गोलबाबु अंसारी सभी सा० बाबुडीह थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकरो।

कार्यवाही

पिण्ड्राजोरा थाना अप्राथमिकी संख्या 130/19 जो पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी पिण्ड्राजोरा थाना से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच अपने सहोदर भाई के जमीन को लेकर विवाद है, जिससे कभी भी विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने दोनों पक्ष के विरुद्ध द०प्र०स० की धारा 107 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दोनों पक्ष के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०स० की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। साथ ही दोनों पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक 9.1.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शान्ति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये का बन्ध-पत्र समतुल्य राशि को दंड प्रतिभुतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।

[Signature]
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

9/1/2020 सूचना का तामिला प्राप्त

द्वि० पक्ष के क्र० 1, 2, 4, 5, 6, 7 का बजसे है
31/1 हेतु समझ का कार्य है

1st party absent.

2nd party

- present, the issue related to land is sorted out.

Case is dropped

[Signature]
9/1/20

P. Office File - SDO Office-2016- S.D.M. Court - 107 Crnc Proceeding n

[Red Stamp]
25/1/20